वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. रायपुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत मार्गो के समानांतर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में 223.96 कि.मी. सड़क किनारे राईट ऑफ वे वनभूमि का आरक्षित वनभूमि 0.559 हे. संरक्षित वनभूमि 9.205 हे. एवं राजस्व वनभूमि का रकबा 1.434 हे. कुल रकबा 11.198 हे. वन भूमि में गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 11.198 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 23/09/2023
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(व्ही. श्रीनिवास राव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–884/2244 नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Private Ltd, Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Balrampur Forest Division under Balrampur District of Chhattisgarh State area – 11.198 ha. regarding.**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/54970/2020

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त का पत्र क्र/मा.चि./न.क्र.–155/2023/2998 दिनांक 21.08.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. रायपुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत मार्गो के समानांतर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में 223.96 कि.मी. सड़क किनारे राईट ऑफ वे वनभूमि का आरक्षित वनभूमि 0.559 हे. संरक्षित वनभूमि 9.205 हे. एवं राजस्व वनभूमि का रकबा 1.434 हे. कुल रकबा 11.198 हे. वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 गैर वानिकी उपयोग हेतु 21 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. रायपुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत मार्गो के समानांतर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में 223.96 कि.मी. सड़क किनारे राईट ऑफ वे वनभूमि का आरक्षित वनभूमि 0.559 हे. संरक्षित वनभूमि 9.205 हे. एवं राजस्व वनभूमि का रकबा 1.434 हे. कुल रकबा 11.198 हे. वन भूमि की मांग की गई है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–** प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/54970/2020 आबंटित किया गया है।	2–3
3.	**वन क्षेत्र का विवरणः**– आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. रायपुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत मार्गो के समानांतर वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि में 223.96 कि.मी. सड़क किनारे राईट ऑफ वे वनभूमि का रकबा आरक्षित वनभूमि 0.559 हे. संरक्षित वनभूमि 9.205 हे. एवं राजस्व वनभूमि का रकबा 1.434 हे. के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु कुल 11.198 हे. वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु आवश्यक है। विविरण संलग्न है।	4–18
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः**– आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। वचन पत्र संलग्न है।	19

5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर**:— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	20—21
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप**:— प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	22
7.	**प्रपत्र—4 में प्रस्ताव** :— प्रपत्र — 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 1520 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि बलरामपुर जिले के लगभग 250 ग्रामों एवं उसके आप—पास के अन्य ग्राम डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से संपादित होंगे।	23—32
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप**:— बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट—आफ—वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 11.198 हे. वन भूमि प्रस्तावित किया गया है जिसमें आवेदक संस्थान ने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में लगभग 250 ग्रामों एवं उसके आप—पास के अन्य ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	33
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र**:— बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट—आफ—वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 11.198 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में मांग की गई वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है।	34
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही**:— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।	35
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा**:— बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने के लिये मार्गो के मौजूदा राईट—आफ—वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 11.198 हे. हेतु प्रपत्र—3 पर वनमंडलाधिकारी बलरामपुर वनमंडल द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 17.08.2023 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी बलरामपुर वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर ने वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है जो परियोजनाओं के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	36—46
12.	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र**:— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	47
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र**— संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	48—261
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हेक्टेयर में** :— बलरामपुर जिले का कुल वन भूमि रकबा 305195.984 हेक्टेयर है।	262—263

15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:–** बलरामपुर जिले के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत कुल 20 स्वीकृत प्रकरणों में 1684.238 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।	264–265
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** व.स.अ.–1980 तहत बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत जिले के 03 स्वीकृत प्रकरणों में इस श्रेणी के कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि का रकबा 1.608 है।	266–267
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	268
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर जिला बलरामपुर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 18.11.2021 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। जिसकी पावती अभिस्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न है।	269–272
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में 1.434 हे. राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। यद्यपि राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बलरामपुर के पत्र क्र 1967 दिनांक 23.03.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	273–283
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** आवदेक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क राशि 6000/– रूपये एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 58000/– रूपये इस प्रकार कुल राशि 64000/– रूपये वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वन मंडल के पी.डी खाते में जमा किया गया है।	284
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:–** ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत प्रकरण में वन्यप्राणी परियोजना आवश्यक नहीं होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	285

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख महोदय छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 02 प्रतियों में मय डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 02 प्रति में
2. भाग–4
3. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख महोदय द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–884/2245 नवा रायपुर, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी,** बलरामपुर वनमंडल, बलरामपुर, छत्तीसगढ़
3. **महाप्रबंधक**, (कार्पोरेट अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लि. चतुर्थ तल अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड़, मोवा (सड्डू), रायपुर, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़